



Chicago Commission  
on Human Relations

## लैंगिक पहचान भेदभाव इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!


किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है।

लैंगिक पहचान का अर्थ है- पुरुष या महिला होने के नाते किसी व्यक्ति का वास्तविक या समझा गया रूप, अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार; चाहे वह रूप, अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार उस व्यक्ति के जन्म के साथ परंपरागत रूप से जुड़ी लैंगिकता से भिन्न हो या न हो।

लैंगिक पहचान भेदभाव के उदाहरणों में शामिल हैं:

- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शौचघर, लॉकर रूम या उनकी पसंद के चेंजिंग रूम का चयन करने से मना करना।
- लैंगिक पहचान के आधार पर किसी ग्राहक को अपमानजनक उपेक्षा, उपहास और अन्य उत्पीड़न का विषय बनाना।
- लैंगिक पहचान के चलते किसी आवेदक या कर्मचारी को नौकरी पर रखने, पदोन्नति देने या उसके साथ समान बर्ताव करने से इंकार करना।
- लैंगिक पहचान के चलते किसी व्यक्ति को आवास किराए पर देने या बेचने से इनकार करना या अन्य तरीकों से आवास तक उनकी समरूप पहुंच को सीमित करना।

*अगर आपको लगता है कि आप आवासीय भेदभाव का शिकार रहे हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इसकी रिपोर्ट CCHR को करें।*



हमसे (312) 744-4474 पर संपर्क करें  
ईमेल: [cchr@cityofchicago.org](mailto:cchr@cityofchicago.org)

वेबसाइट: [Chicago.gov/cchr](http://Chicago.gov/cchr)  
Facebook: [@ChicagoCHR](https://www.facebook.com/ChicagoCHR)  
Twitter: [@ChiCCHR](https://twitter.com/ChiCCHR)



Lori E. Lightfoot  
शिकागो के मेयर